राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 17 / 2025

प्रार्थी– राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थी– श्री ओम्बसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी नाकोड़ा रोड़, जसोल, जिला बालोतरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री छत्रकरण भाटी उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 23.07.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 06.02.2025 को श्री रविन्द्रसिंह प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा, ने मौतबिरान के रूबरू बालोतरा के जैन मंदिर (रामदेव हॉस्पिटल के पास) के सामने स्थित गली में एक बाड़े का जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर अप्रार्थी श्री ओम्बसिंह/मोहनसिंह उपस्थित मिले। मौके पर 7 घरेलु गैस सिलेण्डर तथा एक सिलेण्डर से दुसरे सिलेण्डर में गैस भरने का रेगुलेटर मय पाईप वक्त जांच पाया गया।, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है–

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर मे भरी हुई गैस का वजन
1.	erosed	HP	15.9 Kg	15.9 Kg	0
2.	544898 एच	HP	16.5 Kg	15.5 Kg	1
3	316675 टी	HP	15.2 Kg	15.2 Kg	0
4.	191475 एच	HP	15.7	15.7	0
5.	790136 एच	HP	30.1	15.9	14.2
6	260945	HP	30.5	16.3	14.2
7	1302305 एच	HP	29.8	15.6	14.2

2. मौके पर उक्त दुकान मे पाये गये घरेलु गैस सिलेण्डर द्वारा व्यवसायिक दुरूपयोग करने पर तथा एक सिलेण्डर से दुसरे सिलेण्डर में गैस भरने का रेगुलेटर मय पाईप को मौक पर उक्त सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया।

जिला कलक्टर
बालोतरा

जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को मैसर्स मधुबनगैस एजेन्सी के सेल्समैन श्री भंवरराम/भैराराम को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी), 4(ए) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया ।

4. अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि अप्रार्थी एक मजदूरी पेशा व्यक्ति है जो सुबह बालोतरा शहर में शादी या अन्य फंक्शन में मजदूरी करता है, इसी उद्देश्य से वह मौका स्थल पर आया हुआ था, तथा मौके पर बरामदशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर चूंकि जसोल में एच.पी गैस सिलेण्डरों की सप्लाई 9–10 दिनों से होती है, इस कारण अप्रार्थी अपने रिश्तेदारों के कहने पर उनके व स्वयं के तीन सिलेण्डर अप्रार्थी उसी रोज लेकर आया था, जो उसने भरवा दिये थे तथा शेष चार गैस सिलेण्डर जो खाली है, वो जसोल का एक अन्य व्यक्ति भरवाने के लिए बालोतरा लेकर आया था, लेकिन किन्हीं कारण वंश रसीद नहीं मिली तो वह यह कहकर अप्रार्थी के पास छोंड़ कर गया था, कि कल आकर वो इन्हें यहां से ले जायेग। प्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डरों की जब्ती में इस प्रकार का कोई गैस फिलिंग करने की मोटर मय पाईप को जब्त नहीं किया गया एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ में भी गैस रिफलिंग मोटर मय पाईप दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है और न ही किसी प्रकार की कोई गाड़ी खड़ी है। वास्तव में मौके पर किसी प्रकार को कोई व्यावसायिक या अन्य किसी तरीके से उक्त घरेलु गैस सिलेण्डरों का दुरूपयोग नहीं हो रहा था। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरर्थक तथ्यों का होने से खारिज फरमाया जावें तथा जब्तशुदा गैस सिलेण्डर अप्रार्थी को सुपुर्द करने का आदेश प्रदान करावें।

5. हमने सरकारी पैरोकार की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग लेते हुए तथा एक सिलेण्डर से दुसरे सिलेण्डर में गैस भरने का रेगुलेटर मय पाईप पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये है, जो वर्तमान मे गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स मधुबनगैस एजेन्सी के सेल्समैन श्री भंवरराम/भैराराम को सुपुर्दगी पर दिये गये है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) *" किसी सरकारी तेल कंपनी का कोई वितरक किसी भी घर को सिलेंडर में भरी हुई द्रवींत पेट्रोलियम गैस की आपूर्ति तब तक नहीं करेगा जब तक कि उस घर का व्यक्ति जिसके नाम पर कनेक्शन जारी किया गया है "* व 4(ए) *"किसी सिलेंडर*

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

को द्रवींत पेट्रोलियम गैस से भरना या द्रवींत पेट्रोलियम गैस को एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में या एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में स्थानांतरित करना, जब तक कि मुख्य विस्फोटक नियंत्क द्वारा प्राधिंत न किया गया हो।" तथा 7 के 1(सी) *" उसके पास भरा हुआ या खाली सिलेंडर, गैस सिलेंडर वाल्व या प्रेशर रेगुलेटर नहीं होना चाहिए, जब तक कि वह वितरक या उपभोक्ता न हो।"* का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी), 4(ए) व 7 के 1(सी) का उल्लंघन मे पाये गये उपरोक्त गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी बालोतरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलु गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें।

7. आदेश आज दिनांक 23.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा